न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.383 / अपील / 2018 (GCMS No. 2018 / 00662)	12.11.2018	08.01.2025

नन्दा आ. माछरिया जाति माली, निवासी ग्राम नया बरधा, तह.तालेडा, मृतक जर्ये कायम मुकामान –

1/1 रामभरोस आ.स्व.नन्दा जाति माली निवासी ग्राम नयाबरधा
1/2 दाखा बाई पुत्री स्व.नन्दा पत्नी बाबूलाल जाति माली, नि. ग्राम नयाबरधा हाल सुल्तानपुरा, तहसील दिगोद जिला कोटा
1/3 गंगा बाई पुत्री स्व.नन्दा पत्नी गोपाल जाति माली, नि. ग्राम नयाबरधा हाल सुनगर, तहसील के.पाटन जिला बून्दी
1/4 जगदीश आ.स्व.नन्दा जाति माली निवासी ग्राम नयाबरधा
1/5 हीरा आ.स्व.नन्दा जाति माली निवासी ग्राम नयाबरधा

– अपीलान्टस

बनाम

1. नारायण आ. चतरा जाति माली निवासी ग्राम नयाबरधा
2. कालूलाल आ. गजानन्द जाति माली निवासी ग्राम नयाबरधा
3. बदाम बेवा गजानन्द जाति माली निवासी ग्राम नयाबरधा तह.नीमका थाना, जिला सीकर हाल निवास सिविल लाईन्स, अजमेर
4. चन्द्रप्रकाश आ. प्रेमशंकर नाबालिग जर्ये संरक्षिका माता श्रीमती कंचन बेवा प्रेमशंकर जाति माली निवासी ग्राम नयाबरधा
5. विशाल आ. प्रेमशंकर नाबालिग जर्ये संरक्षिका माता श्रीमती कंचन बाई बेवा प्रेमशंकर जाति माली निवासी ग्राम नयाबरधा
6. लक्ष्मी पुत्री प्रेमशंकर नाबालिग जर्ये संरक्षिका माता श्रीमती कंचन बाई बेवा प्रेमशंकर जाति माली निवासी ग्राम नयाबरधा
7 श्रीमती कंचनबाई बेवा प्रेमशंकर जाति माली निवासी ग्राम नयाबरधा
8 राधेश्याम आ. चतरा जाति माली निवासी ग्राम नयाबरधा तह.तालेडा
9 सीताराम आ. चतरा जाति माली निवासी ग्राम नयाबरधा तह.तालेडा
10 नाम विलोपित
11 राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)
12 उप पंजीयक, तालेडा (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्टस

जिला कलेक्टर; बून्दी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से श्री रामदत्त शर्मा, एडवोकेट
रेस्पो.सं. 1, 8 की ओर से श्री रमेश कुमार जैन, एडवोकेट
रेस्पो.सं. 2 लगायत 7 की ओर से श्री दिनेश पारीक, एडवोकेट
रेस्पो. सं. 11 व 12 की ओर से पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार तालेडा द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 956 दिनांक 31.08.2018 ग्राम नया बरधा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण तहसीलदार तालेडा के आदेश दिनांक 30.07.2018 की पालना में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 383/2018 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2018/00662 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। दौराने अपील अपीलांट के फोत हो जाने पर उसके वारिसान को अपील में कायम मुकाम अपीलांट सं. 1/1 लगायत 1/5 बनाया गया। रेस्पो.सं.1 को सहवन से रेस्पो.सं.10 पर पुनः पक्षकार बना लिये जाने से उसका नाम डिलिट करने का प्रार्थना पत्र प्रार्थी अभिभाषक रेस्पो. द्वारा नो–ऑब्जेक्टशन किये जाने से रेस्पो.सं.10 को विलोपित किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि भूमि खसरा सं.68 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा, ख.सं.71 रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा, ख.सं.212 रकबा 11 बिस्वा, ख.सं. 122 रकबा 17 बिस्वा, ख.सं.280 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, ख.सं.283 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, ख.सं.286 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा, ख.सं.305 रकबा 19 बिस्वा, ख.सं.306 रकबा 06 बिस्वा, ख.सं.340 रकबा 28 बीघा 12 बिस्वा, ख.सं.415 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, ख.सं.416 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा, ख.सं. 444 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, कुल किता 13 कुल रकबा 79 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम नयाबरधा, तहसील तालेडा में स्थित है। उक्त भूमि के मूल खातेदार माछरिया जी थे जिन्होने उक्त आराजी को बसाया था, माछरिया का देहान्त हो चुका है, उनके तीन पुत्र नन्दा, रामनाथ एवं चतरा हुए। इस प्रकार उक्त पैतृक आराजी में नन्दा का हिस्सा 1/3, रामनाथ का हिस्सा 1/3 एव चतरा का हिस्सा 1/3 निहित है। उक्त तीनों की मृत्यु को चुकी है। जिसमें

जिला कलेक्टर; बून्दी

अपीलांटस मृतक नन्दा के वारिसान है, रामनाथ लाऔलाद फोत हुआ है, जबकि रेस्पो.सं.1 लगायत 9 मृतक चतरा के वारिसान है। उक्त भूमि के संबंध में अपीलांटस के पिता नन्दा द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 92–ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत सभी सहखातेदारों के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा में प्रस्तुत कर रखा है जो वर्तमान में विचाराधीन है। माछरिया का पुत्र रामनाथ का दिनांक 20.08.2003 को देहान्त हो चुका है। रामनाथ अपनी मृत्यु के 2–3 वर्षो पहले से ही काफी बीमार होने से वह सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। रामनाथ द्वारा कभी भी रेस्पो.सं.1 नारायण के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया गया और न ही वे वसीयतनामा निष्पादित करने की शारीरिक व मानसिक स्थिति में थे। रामनाथ लाऔलाद फौत हो जाने से उक्त भूमि में उसके निहित 1/3 हिस्से की भूमि माछरिया के दोनो पुत्र नन्दा व चतरा दोनों भाईयों में बराबर–बराबर 1/2, 1/2 हिस्से में निहित होनी थी। इसके बावजूद रामनाथ की मृत्यु के 15 वर्ष पश्चात रेस्पोसं.1 नारायण ने उक्त आराजी के संबंध में रामनाथ के 1/3 हिस्से की भूमि का तथाकथित अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 16.08.2002 को निष्पादित होना बताकर उसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 956 दिनांक 31.08.2018 स्वयं के पक्ष में खुलवा लिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि उक्त आराजी बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा के यहां नियमित वाद जैरकार है तथा न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को ताफैसला उक्त वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति कायम रखने हेतु पाबंद किया हुआ है। तथाकथित वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है एवं मृत्यु के 15 वर्ष बाद प्रकट की है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसान व हितबद्ध व्यक्तियों की सुनवाई की जाकर, पैतृक कृषि भूमि बाबत जांच की जाकर विधिसम्मत आदेश पारित करते हुये किसी न्यायालय का स्थगन न होने की दशा में नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्तानुसार विधिक प्रकिया की पालना नहीं की जाकर प्रभावी स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुये अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया, जो तथ्यों को छिपाकर विधिविरूद्ध खोला जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.10.2018 को हल्का पटवारी से खाते की नकल लेने पर हुई। अपीलांट ने उसी दिन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की जाकर यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के साथ जानकारी की तिथि से अन्दर अवधि यहां पेश की गई है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरडी 1992 पेज 17, आरआरडी 1992 पेज 173, आरआरडी 1992 पेज 518 की नजीरें पेश करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 व 8 द्वारा बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही थी, ऐसे में अपीलांट को नियमानुसार अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी, जो निर्धारित समय में पेश नहीं की गई, अपितु विलम्ब से अपील पेश की गई है, जिसके विलम्ब का कोई उचित कारण भी नहीं बताया है। अपीलांट द्वारा पेश की गई अपील मियाद बाहर होने से बिना मेरिट पर सुने मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। तत्पश्चात अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 व 8 द्वारा आगे तर्क प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया गया कि तहसीलदार तालेडा के मूल आदेश दिनांक 30.07.2018 की अपील नहीं होने से प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं है। रेस्पो. नारायण द्वारा रामनाथ की वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार तालेडा के समक्ष पेश किया था। तहसीलदार तालेडा द्वारा संबंधित पक्षों को तलब कर एवं वसीयत के गवाह के बयान लेकर तथा वसीयत बाबत पूर्ण जांच कर दिनांक 30.07.2018 को विस्तृत आदेश पारित किया गया, उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 956 दिनांक 31.08.2018 को नारायण के पक्ष में खोला गया। धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधान है कि मूल आदेश की अपील होगी, किन्तु अपीलांट ने मूल आदेश दिनांक 30.07.18 की कोई अपील नहीं की, बल्कि इस आदेश के आधार पर दिनांक 31.08.2018 को नामान्तरकरण खुला उसकी अपील की है। चूंकि मूल आदेश की अपील नहीं हुई है इस कारण प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 व 8 द्वारा बहस में आगे तर्क प्रस्तुत किये गये कि वसीयत की रजिस्ट्री आवश्यक नहीं है, जैसा कि 1984 आरआरडी पेज 390 में निर्णय किया है। प्रस्तुत वसीयत नोटेरी से तस्दीक की गयी है उसकी जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण खोला है, जो उचित है। जहां तक स्टे का प्रश्न है वह वादग्रस्त भूमि के कब्जे बाबत यथास्थिति का था, क्योंकि प्रार्थना ही कब्जे की यथास्थिति बाबत की थी, रिकार्ड बाबत यथास्थिति की प्रार्थना नहीं थी। रामनाथ जी के देहान्त के पश्चात वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने का पूरा अधिकार तहसीलदार को था। इस बाबत कोई विवाद भी उस समय नहीं था। रामनाथ जी वसीयत के समय बीमार हो, इस बाबत कोई रिकार्ड अपीलांट ने पेश नहीं किया। तहसीलदार तालेडा के सामने भी कोई स्टे आर्डर पेश नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिसम्मत है। अभिभाषक रेस्पो.सं.1 व 8 द्वारा अपने समर्थन में 2023(2) डीएनजे राज पेश 583, आरआरडी 2016 पेज 1, आरआरटी 2021(2) पेज 1250 की नजीरें पेश करते हुय अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 से 7 द्वारा अभिभाषक रेस्पो.सं.1 व 8 की बहस का समर्थन करते हुये अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 31.08.2018 की जानकारी दिनांक 29.10.2018 को होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित किया है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मेरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर अवधि मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने पर प्रकट है कि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2074–2077 के अनुसार ग्राम नया बरधा में विस्थित आराजी कुल किता 13 कुल रकबा 79 बीघा 07 बिस्वा के खातेदार नन्दा, रामनाथ पिता माछरया हिस्सा 2/3 शेष बदस्तुर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। तहसीलदार तालेडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.18 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 956 दिनांक 31.08.2018 तस्दीक किया गया। जिसमें वसीयत के आधार पर रामनाथ आ. माछरया के स्थान पर नारायण आ. चतरा हिस्सा 1/3 दर्ज रेकार्ड किया गया।

अपील में अपीलांट की आपत्ति रही है कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक कृषि भूमि है जो मूल पुरूष माछरिया से प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में रामनाथ पुत्र माछरिया को पैतृक कृषि भूमि में प्राप्त हिस्से को वसीयत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। इसके प्रत्युत्तर में रेस्पो.सं.1 की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया, जिससे कि उक्त आराजी रामनाथ आ. माछरिया की स्वअर्जित सम्पत्ति प्रकट हो सके। इस प्रकार वसीयत की गई भूमि खातेदार रामनाथ की स्वअर्जित सम्पत्ति होना दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार तालेडा के आदेश दिनांक 30.07.2018 की छायाप्रति के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त आदेश में वादग्रस्त आराजी के पैतृक या स्वअर्जित होने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे में जिस दस्तावेज के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है, उक्त दस्तावेज की वैधता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित जांच नही की गई है। ऐसे में अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रथमदृष्टया शून्य प्रभावी दस्तावेज के आधार पर तस्दीक किये जाने से निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जिला कलक्टर, बूंदी

अपील में अपीलांट की यह भी आपत्ति रही है कि उक्त कृषि भूमि बाबत उपखण्ड अधिकारी तालेडा का यथास्थिति बाबत स्थगन आदेश ताफैसला प्रभावी होने बावजूद भी नामान्तरकरण खोला गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रति वाद संख्या 53/2000 अन्तर्गत धारा 53, 188, 92(क) राज0 टिनेन्सी एक्ट बउनवान नन्दा आ. माछरिया जाति माली निवासी नया बरधा बनाम रामनाथ आ0 माछरिया जाति माली निवासी नया बरधा वगै0 के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण में अंकित आराजी के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा के यहां वाद वर्तमान में लम्बित है, जिसकी आगामी पेशी दिनांक 11.12.2024 निहित थी। वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत न्यायालय ए.सी.एम.(मुख्यालय) बून्दी द्वारा आदेश दिनांक 22.10.1996 से दोनों पक्षों को ताफैसला वाद वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति कायम रखने हेतु पाबंद किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपील विषयक आराजी बाबत जैरकार वाद में स्थगन आदेश ताफैसला प्रभावी होने के दौरान ही अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है, जो विधिक दृष्टि से न्यायोचित नहीं है ऐसे में अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि पक्षकरान के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा में नियमित वाद विचाराधीन है। जब वादग्रस्त आराजी के संबंध में नियमित राजस्व वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हो तो वहां पक्षकारान् के हितों का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य इत्यादि द्वारा किया जाना है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में पक्षकारान् के हितों का विस्तृत निर्धारण नहीं किया जा सकता है। आर.आर.डी. 1998 पेज 368 में यह माना गया है कि जहॉ पर नियमित वाद जेरकार हो तो नामान्तरकरण निरस्त कर वाद के निर्णय के अनुसार इन्द्राज किया जाना चाहिये। उक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का दौराने वाद पारित अपीलाधीन आदेश प्रथमदृष्ट्या विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 956 दिनांक 31.08.19 ग्राम नया बरधा निरस्त किया जाता है तथा नियमित राजस्व वाद के निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 08.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी